<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-06082025-265257 CG-MH-E-06082025-265257

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534] No. 534] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

# अधिसूचना

मुंबई, 4 अगस्त, 2025

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/252.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में,-
  - I. विनियम 8 में.
    - i) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा. अर्थात.-

5212 GI/2025 (1)

- "(2) यह डिपॉज़िट (जमाराशि) उसी तरह रखा जाएगा, जिस तरह से रखने के लिए बोर्ड कहे ।"
- ii) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
  - "(3) इस डिपॉज़िट (जमाराशि) पर उस निकाय (बॉडी) या कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय) के पक्ष में लियन मार्क करवाया जाएगा, जिसे इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार अनुसंधान विश्लेषकों का पर्यवेक्षण आदि करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो:

परंतु यह कि यदि अनुसंधान विश्लेषक विवाद सुलझाने की ऑनलाइन व्यवस्था या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऐसी ही किसी दूसरी व्यवस्था के तहत मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाहियों की वजह से देय रकम अदा नहीं करता है, तो ऐसे में वह रकम उस डिपॉज़िट (जमाराशि) में से निकाली जा सकेगी।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./267/2025-26]

### <u>पाद टिप्पण:</u>

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2014-15/07/1414, द्वारा 1 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 तत्पश्चात्,-
  - क. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
  - ख. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
  - ग. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/09, द्वारा
  - घ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
  - ङ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
  - च. 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
  - छ. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
  - ज. 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

- झ. 26 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/170, द्वारा
- ञ. 19 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/199, द्वारा
- ट. 16 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (तीसरा संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/220, द्वारा

संशोधित हुए थे।

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 4th August, 2025

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (RESEARCH ANALYSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

- **F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/252.** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, namely: —
- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014
  - I. In Regulation 8,
    - i) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -
      - "(2) The deposit shall be maintained in such a form or manner as may be specified by the Board."
    - ii) after sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
      - "(3) Such deposit shall be marked as lien in favour of a body or body corporate recognised by the Board for the purpose of administration and supervision of research analysts in accordance with regulation 14 of these regulations:

Provided that the deposit shall be available for utilization in case the research analyst fails to pay the dues emanating out of arbitration and conciliation proceedings, if any, under the Online Dispute Resolution Mechanism or such other mechanism as may be specified by the Board."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./267/2025-26]

#### Footnotes:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, were published in the Gazette of India on September 01, 2014 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2014-15/07/1414.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 were subsequently amended on,
  - a. 8<sup>th</sup> December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023.
  - b. 17<sup>th</sup> April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
  - c. 16<sup>th</sup> March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/09.
  - d. 3<sup>rd</sup> August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

- e. 17<sup>th</sup> January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/ 2023/115.
- f. 7<sup>th</sup> February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- g. 3<sup>rd</sup> July 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.
- h. 17<sup>th</sup> August 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- i. 26<sup>th</sup> April 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/170.
- j. 19<sup>th</sup> August, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/199.
- k. 16<sup>th</sup> December, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/220.